

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-28052022-236066
SG-DL-W-28052022-236066

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4]	दिल्ली, मई 20—मई 26, 2022, बृहस्पतिवार/वैशाख 30—ज्येष्ठ 5, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 87, 88, 89, 90, 91
No. 4]	DELHI, MAY 20—MAY 26, 2022, THURSDAY/VAISAKHA 30—JYAISTHA 5, 1944 [N.C.T.D. No. 87, 88, 89, 90, 91

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 28 मार्च, 2022

सं. 20/स्थापना-I/ई-2/डीएचसी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 1972' की अनुसूची-II की मद संख्या 9क, 10 व 11 को सहर्ष संशोधित करते हैं, जिसे निम्न प्रकार पढ़ा जाए:-

क्र. सं.	पद की श्रेणी	पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता	नियुक्ति की विधि
1	2	3	4
9क	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) (पदोन्नति/चयन पद) (7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर 11)	(क) वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति हेतु- अनुसूची-1(क) में वर्णित 14 (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 15 (रीडर), 16 (न्यायालय अधिकारी) एवं 17 (वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक) में से किसी भी श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता)। (ख)(i) विभागीय परीक्षा हेतु- इस न्यायालय की स्थापना के सदस्यों हेतु: अनुसूची-1(क) में वर्णित - 13 (सहायक लेखा अधिकारी), 14 (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 15 (रीडर), 16 (न्यायालय अधिकारी), 17 (वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक), 18 (वरिष्ठ निजी सहायक) एवं 19 (वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) तथा/ अथवा इसके समतुल्य पद में से किसी भी श्रेणी पर 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता) अथवा 8 वर्षों की सेवा सहित गैर-स्नातक; अथवा 20 (मुख्य कोषाध्यक्ष), 21 (न्यायिक सहायक), 22 (न्यायिक अनुवादक), 23 (निजी सहायक), 24 (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) अथवा इसके समतुल्य पद अथवा इन पदों में से किसी श्रेणी में और उपरोक्त खंड (ख)(i) में वर्णित पदों पर सम्मिलित रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता); (ख)(ii) सीधी भर्ती हेतु : 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 8 तथा/अथवा अधिक में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता)।	(क) रिक्त पदों का 50% अनुसूची-1(क) में वर्णित 14 (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 15 (रीडर), 16 (न्यायालय अधिकारी) एवं 17 (वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक) की श्रेणियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (ख)(i) रिक्त पदों का 50% कॉलम 3 (ख)(i) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार** के आधार पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा, एसीआर न्यूनतम मानदंड की पूर्ति के अध्वधीन। (ii) यदि उपरोक्त खंड (ख)(i) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयन हेतु योग्य नहीं होते हैं तो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार** के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
10	कोर्ट मास्टर (पदोन्नति/चयन पद) (7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर 11)	(क) वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति हेतु- अनुसूची-1(क) में वर्णित 14 (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 15 (रीडर), 16 (न्यायालय अधिकारी) एवं 17 (वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक) में से किसी श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता)।	(क) रिक्त पदों का 50% अनुसूची-1(क) में वर्णित 14 (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 15 (रीडर), 16 (न्यायालय अधिकारी) एवं 17 (वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक) की श्रेणियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

		(ख)(i) विभागीय परीक्षा हेतु- इस न्यायालय की स्थापना के सदस्यों हेतु: अनुसूची-1(क) में वर्णित 13 (सहायक लेखा अधिकारी), 14 (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 15 (रीडर), 16 (न्यायालय अधिकारी), 17 (वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक), 18 (वरिष्ठ निजी सहायक) एवं 19 (वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) तथा/ अथवा इसके समतुल्य पद में से किसी भी श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता) अथवा 8 वर्षों की सेवा सहित गैर-स्नातक; अथवा 20 (मुख्य कोषाध्यक्ष), 21 (न्यायिक सहायक), 22 (न्यायिक अनुवादक), 23 (निजी सहायक), 24 (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) अथवा इसके समतुल्य पद अथवा इन पदों में से किसी श्रेणी में और उपरोक्त खंड (ख)(i) में वर्णित पदों पर सम्मिलित रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता); (ख)(ii) सीधी भर्ती हेतु: 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 8 तथा/अथवा अधिक में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को प्राथमिकता)।	(ख)(i) रिक्त पदों का 50% कॉलम 3 (ख) (i) में विनिर्दिष्ट श्रेणियां में से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार** के आधार पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा, एसीआर न्यूनतम मानदंड की पूर्ति के अध्वधीन। (ii) यदि उपरोक्त खंड (ख)(i) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयन हेतु योग्य नहीं होते हैं तो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार** के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
11	निजी सचिव (पदोन्नति/ चयन पद) (7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर 11)	(क) वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति हेतु- अनुसूची-1(क) में वर्णित श्रेणी 18 (वरिष्ठ निजी सहायक) में 5 वर्षों की सेवा सहित स्नातक। (ख)(i) विभागीय परीक्षा हेतु- इस न्यायालय और दिल्ली न्यायिक अकादमी के अधिकारियों हेतु: <u>अनिवार्य:</u> (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;	(क) पदों का 50% अनुसूची-1(क) में वर्णित श्रेणी 18 (वरिष्ठ निजी सहायक) की संयुक्त वरिष्ठता सूची से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (ख) (i) व (ii) पदों का 50% निम्न आधार पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा : (क) अंग्रेजी भाषा (निबंध, व्याकरण तथा अनुवाद) में एक पेपर को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा में प्रदर्शन;

	(ख) अनुसूची-1(क) में वर्णित श्रेणी 18 (वरिष्ठ निजी सहायक), 14 (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 15 (रीडर), 16 (न्यायालय अधिकारी), 17 (वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक), 19 (वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) अथवा इनके समतुल्य पद में से किसी में 5 वर्षों की नियमित सेवा। अथवा 23 (निजी सहायक), 20 (मुख्य कोषाध्यक्ष), 21 (न्यायिक सहायक), 22 (न्यायिक अनुवादक), 24 (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) अथवा इसके समतुल्य पद अथवा इन पदों में से किसी श्रेणी में तथा उपरोक्त खंड (ख) में वर्णित पदों पर सम्मिलित रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा (विधि स्नातक को प्राथमिकता); (ग) अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर में दक्षता सहित कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 45 शब्द प्रति मिनट की गति हो। वांछित: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि (एलएल.बी.) में स्नातक डिग्री (ख)(ii) सीधी भर्ती हेतु: अनिवार्य: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (ख) किसी सरकारी विभाग (केंद्र अथवा राज्य)/ स्वायत्तशासी निकाय/ संवैधानिक निकाय/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय/ दिल्ली न्यायिक अकादमी में सातवें वेतन आयोग के स्तर 8 तथा/अथवा अधिक में आशुलिपिकीय पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा; तथा (ग) अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर में दक्षता सहित कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 45 शब्द प्रति मिनट की गति हो।	(ख) 120 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की अवधि के अंग्रेजी में आशुलिपि श्रुतलेख को कंप्यूटर पर 40 मिनट में अंग्रेजी में लिप्यान्तरित करने वाली अर्हक कौशल परीक्षा, एवं 45 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर 10 मिनट की अवधि की अंग्रेजी टंकण परीक्षा [नोट : प्रत्येक प्रतिभागी को दो आशुलिपि श्रुतलेख लिप्यन्तरण परीक्षाओं में उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा तथा उन दो में से सर्वोत्तम पर विचार किया जाएगा]; एवं (ग) मौखिक परीक्षा/ साक्षात्कार** में प्रदर्शन, एसीआर न्यूनतम मानदंड की पूर्ति के अध्यधीन यदि खंड (ख)(i) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयन हेतु योग्य नहीं होते हैं तो खंड (ख)(ii) के अनुसार नियुक्ति की जाएगी।
--	---	---

		वांछित: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि (एलएल.बी.) में स्नातक डिग्री।		
--	--	--	--	--

****मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार के अंक विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करते समय लिखित परीक्षा के कुल अंकों के 15% और सीधी भर्ती के मामले में 25% से अधिक नहीं होंगे।**

नोट : उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आदेशानुसार,

रविंदर डुडेजा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 28th March, 2022

No. 20/Estt.I/E-2/DHC.— In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Acting Chief Justice of this Court has been pleased to amend Item No. 9A, 10 & 11 of the Schedule-II to the 'Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules 1972' so as to read as under:-

S. No	Category of post	Minimum qualifications prescribed for appointment to the post	Mode of appointment
1	2	3	4
9A.	Administrative Officer (Judicial) (Promotion/ Selection Post) (Pay level-11 of 7 th Pay Commission)	a. For promotion by seniority - Graduate with 5 years regular service (Law graduate to be preferred) in any of the categories 14 (Senior Judicial Assistant), 15 (Reader), 16 Court Officer and 17 (Senior Judicial Translator) mentioned in Schedule-I(A). b.(i) – For departmental examination - For members of establishment of this Court : Graduate with 5 years regular service (law graduate to be preferred) or non-graduate with 8 years service in any of the categories - 13 (Assistant Accounts Officer), 14 (Senior Judicial Assistant), 15 (Reader), 16 (Court Officer), 17 (Senior Judicial Translator), 18 (Senior Personal Assistant) and 19 (Senior Assistant Librarian) and/or its equivalent posts mentioned in Schedule-I(A). OR Graduate with 7 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in any of the categories – 20 (Chief Cashier), 21 (Judicial Assistant), 22 (Judicial Translator), 23 (Personal Assistant), 24 (Assistant	a. 50% of the vacant posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from joint seniority list of categories 14 (Senior Judicial Assistant), 15 (Reader), 16 (Court Officer) and 17 (Senior Judicial Translator), mentioned in Schedule-I(A). b (i) 50% of the vacant posts by selection on merit on the basis of written test and interview**, subject to fulfillment of ACR's benchmark criteria from categories specified in column 3(b)(i).

		Librarian), or its equivalent post or combined service in any of these posts and the posts mentioned (b)(i) above. b.(ii) For direct recruits: Graduate with 5 years regular service (Law Graduate to be preferred) in the pay level-8 and/or above of 7th Pay Commission.	(ii)	In case requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b)(i) above, by direct recruitment on the basis of written test and interview**.
10.	Court Master (Promotion/ Selection Post) (Pay level-11 of 7 th Pay Commission)	a. For promotion by seniority - Graduate with 5 years regular service (Law graduate to be preferred) in any of the category - 14 (Senior Judicial Assistant), 15 (Reader), 16 (Court Officer) and 17 (Senior Judicial Translator), mentioned in Schedule-I(A). b.(i) – For departmental examination - For members of establishment of this Court : Graduate with 5 years regular service (law graduate to be preferred) or non-graduate with 8 years service in any of the category - 13 (Assistant Accounts Officer), 14 (Senior Judicial Assistant), 15 (Reader), 16 (Court Officer), 17 (Senior Judicial Translator), 18 (Senior Personal Assistant) and 19 (Senior Assistant Librarian) and/or its equivalent posts mentioned in Schedule-I(A). OR Graduate with 7 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in any of the categories – 20 (Chief Cashier), 21 (Judicial Assistant), 22 (Judicial Translator), 23 (Personal Assistant), 24 (Assistant Librarian), or its equivalent post or combined service in any of these posts and the posts mentioned (b)(i) above. b.(ii) For direct recruits: Graduate with 5 years regular service (Law Graduate to be preferred) in the pay level-8 and/or above of 7th Pay Commission.	a. b (i) (ii)	50% of the vacant posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from joint seniority list of categories 14 (Senior Judicial Assistant), 15 (Reader), 16 (Court Officer) and 17 (Senior Judicial Translator), mentioned in Schedule-I(A). 50% of the vacant posts by selection on merit on the basis of written test and interview**, subject to fulfillment of ACR's benchmark criteria from categories specified in column 3(b)(i). In case requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b)(i) above, by direct recruitment on the basis of written test and interview**.
11.	Private Secretary (Promotion/ Selection Post). (Pay level-11 of 7 th Pay Commission)	(a) For promotion by seniority- Graduate with 5 years' service in the category 18 (Senior Personal Assistant) mentioned in Schedule-I(A).	(a)	50% of the posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from category 18 (Senior Personal Assistant) mentioned in Schedule-1(A).

		(b)(i) For departmental examination – For officials of this Court, and Delhi Judicial Academy: <u>Essential:</u> (a) Graduate from a recognized University; (b) 5 years' regular service in the category 18 (Senior Personal Assistant) / 14 (Senior Judicial Assistant) / 15 (Reader) /16 (Court Officer)/ 17 (Senior Judicial Translator) / 19 (Senior Assistant Librarian) or its equivalent post;-mentioned in Schedule-I(A). OR 7 years' regular service (Law Graduate to be preferred) in any of the categories – 23 (Personal Assistant), 20 (Chief Cashier), 21 (Judicial Assistant), 22 (Judicial Translator), 24 (Assistant Librarian) or its equivalent post or combined service in any of these posts and the posts mentioned (b) above. (c) Possessing a speed of not less than 120 w.p.m. in English Shorthand and 45 w.p.m. in English Typing on Computer with proficiency in Computer. <u>Desirable :</u> Bachelor Degree in Law (LL.B) from recognized university. (b)(ii) – For direct recruits: <u>Essential:</u> (a) Graduate from a recognized University; (b) 5 years' regular service in stenographic post in the pay level-8 and/or above of 7th Pay Commission in any Government Department (Central or State) /	(b)(i)&(ii) 50% of the posts by selection on merit on the basis of: (a) performance in written examination comprising of one paper in English language (Essay, Grammar and Translation); (b) qualifying skill test of shorthand dictation in English of 5 minutes duration at the speed of 120 w.p.m. to be transcribed on computer in English in 40 minutes, and typing test in English of 10 minutes duration on computer at the speed of 45 w.p.m. <i>[Note: Each participant will be given opportunity to appear in two shorthand dictation transcription tests and best of the two will be considered]; and</i> (c) Performance in viva-voce test/interview**, subject to fulfillment of ACR's benchmark criteria In case, requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b)(i), appointment will be made in terms of clause (b)(ii).
--	--	---	--

		Autonomous Body / Constitutional Body / Statutory Body / Public Sector Undertaking/ Office of District & Sessions Judge, Delhi / Delhi Judicial Academy; and (c) Possessing a speed of not less than 120 w.p.m. in English Shorthand and 45 w.p.m. in English Typing on Computer with proficiency in Computer. Desirable : Bachelor Degree in Law (LL.B) from recognized university.		
--	--	---	--	--

** Viva-voce/ interview marks shall not be more than 15% of the total marks of the written examination while making appointment through departmental examination and 25% in the case of direct recruitment.

Note: The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order,

RAVINDER DUDEJA, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

सं. 22/स्था.1/ई.-2/डी.एच.सी.—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सार्प करतें हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति की गई है	टिप्पणियाँ
1.	सुश्री नीलम, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री शेखर चंद्रा, संयुक्त निबंधक की निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
2.	श्री सतीश सी. थाल्डी, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री प्रमोद कुमार, संयुक्त निबंधक की निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
3.	श्री सुभाष चंदर ठाकुर, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री रविंद्र कुमार शर्मा, संयुक्त निबंधक की निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
4.	श्री सत्य शील भटनागर, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री जोगिंदर कुमार बत्रा, संयुक्त निबंधक की निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
5.	श्री संजीव कुमार, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.04.2022 से आगामी आदेशों तक सुश्री संध्या कपूर, संयुक्त निबंधक की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।

टिप्पणी: उपरोक्त नियुक्तियाँ (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यक्षीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.-I)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2022

No. 22/Estt.-I/E-2/DHC.—Hon’ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Neelam, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy which became available upon promotion of Mr. Shekhar Chandra, Joint Registrar as Registrar.
2.	Mr. Satish C. Thaldi, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy which became available upon promotion of Mr. Pramod Kumar, Joint Registrar as Registrar.
3.	Mr. Subhash Chander Thakur, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy which became available upon promotion of Mr. Ravindra Kumar Sharma, Joint Registrar as Registrar.
4.	Mr. Satya Sheel Bhatnagar, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy which became available upon promotion of Mr. Joginder Kumar Batra, Joint Registrar as Registrar.
5.	Mr. Sanjeev Kumar, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 01.04.2022 till further orders against the vacancy of Joint Registrar arising upon retirement of Ms. Sandhya Kapoor, Joint Registrar.

NOTE: The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled “*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*” and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled “*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*” and also subject to the condition that in case as a result of implementation of

above decisions, their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

सं. 23/स्था.1/ई.-2/डी.एच.सी.—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति की गई है	टिप्पणियाँ
1.	श्री भास्करा नन्द, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक सुश्री नीलम, उपनिबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
2.	सुश्री मिथलेश कुमारी, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री सतीश सी. थाल्डी, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
3.	श्री दीपक अरोड़ा, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री सुभाष चंदर ठाकुर, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
4.	श्री मुकेश गुप्ता, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री सत्य शील भटनागर, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।
5.	श्री संजीव कुमार वडेरा, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.04.2022 से आगामी आदेशों तक श्री संजीव कुमार, उपनिबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उपलब्ध हुए पद के प्रति।

टिप्पणी: उपरोक्त नियुक्तियाँ (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यक्षीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण) / कर्मचारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.-I)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2022

No. 23/Estt.I/E-2/DHC.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

S. No.	Name of the Officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Bhaskara Nand, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Neelam, Deputy Registrar as Joint Registrar.
2.	Ms.Mithlesh Kumari, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr.Satish C.Thaldi, Deputy Registrar as Joint Registrar.
3.	Mr. Deepak Arora, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Subhash Chander Thakur, Deputy Registrar as Joint Registrar.
4.	Mr. Mukesh Gupta Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Satya Sheel Bhatnagar, Deputy Registrar as Joint Registrar.
5.	Mr. Sanjeev Kumar Wadera, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission).	With effect from 01.04.2022 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Sanjeev Kumar, Deputy Registrar as Joint Registrar.

NOTE: The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

सं. 24/स्था.1/ई.-2/डी.एच.सी.— माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति की गई है	टिप्पणियाँ
1.	सुश्री शालू बत्रा, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री भास्करा नंद, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए पद के प्रति।
2.	श्री चंदर शेखर, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक सुश्री मिथलेश कुमारी, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए पद के प्रति।
3.	सुश्री ममता आर्य, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री दीपक अरोड़ा, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए पद के प्रति।
4.	श्री मामेक कुमार त्रिखा, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक श्री मुकेश गुप्ता, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए पद के प्रति।
5.	श्री दलीप कुमार बजाज, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.04.2022 से आगामी आदेशों तक श्री संजीव कुमार वडेरा, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए पद के प्रति।

टिप्पणी: उपरोक्त नियुक्तियाँ (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यक्षीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.-1)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2022

No. 24/Estt.I/E-2/DHC.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

S.No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Shaloo Batra Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising consequent upon promotion of Mr. Bhaskara Nand, Assistant Registrar, as Deputy Registrar.
2.	Mr. Chander Shekhar Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising consequent upon promotion of Ms.Mithlesh Kumari, Assistant Registrar, as Deputy Registrar.
3.	Ms. Mamta Arya Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising consequent upon promotion of Mr. Deepak Arora, Assistant Registrar, as Deputy Registrar.
4.	Mr. Mamek Kumar Trikha, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy arising consequent upon promotion of Shri Mukesh Gupta, Assistant Registrar, as Deputy Registrar.
5.	Mr. Dalip Kumar Bajaj, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 01.04.2022 till further orders against the vacancy arising consequent upon promotion of Mr. Sanjeev Kumar Wadera, Assistant Registrar, as Deputy Registrar.

NOTE: The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

सं. 25/स्था.1/ई.-2/डी.एच.सी.—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम व धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति की गयी है	टिप्पणी
1	श्री जितेंद्र पांडेय, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी कोर्ट मास्टर (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 31.03.2022 से आगामी आदेशों तक 35 % वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के पद के प्रति जो सुश्री कांति नवानी, कोर्ट मास्टर की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुआ है।

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।
- उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.-1)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2022

No. 25/Estt.I/E-2/DHC.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the Establishment of this Court:-

S.No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Jitender Pandey, Senior Judicial Assistant	Temporary Court Master in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 31.03.2022 till further orders against the vacancy of Court Master under 35% seniority quota which became available upon retirement of Ms. Kanti Nawani, Court Master.

NOTES: 1. The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of his appointment and expiry of the period of probation shall not result in his automatic confirmation.

2. The above appointment is subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 'Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled 'K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled 'Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors.', (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.", and (v) W.P.(C) No. 8016/2016 titled "Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.' and as also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)